भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश, अप्रैल **2023**

माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति:

1,50,000 आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के लक्ष्य की तुलना में, 30.04.2023 तक 1,59,585 एबी-एचडब्ल्यूसी का प्रचालन किया जा चुका था।

2. विधायी और विनियामक उपाय:

2.1 चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के नियम 19 के उपनियम (2) के तहत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2237 (अ) दिनांक 1.6.2018 में संशोधन करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, नोएडा में कोविड-19 किट के परीक्षण के संबंध में सांविधिक आदेश (का.आ. 1928 (अ) दिनांक 25.4.2023 जारी किया गया ।

2.2 1.10.2023 से प्रभावी वर्ग ग और घ गैर अधिसूचित चिकित्सा उपकरण की लाइसेंसिंग व्यवस्था जो वर्तमान में सामान्य सांविधिक नियम (जीएसआर) 102 (अ) दिनांक 11.02.2020 के अनुसार चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत अनिवार्य पंजीकरण के तहत हैं, के संबंध में 12.4.2023 को परिपत्र जारी किया गया ।

3. विविध

3.1 मंत्रिमंडल ने 26.04.2023 को हुई अपनी बैठक में देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

3.2 30.04.2023 तक देश भर में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र आबादी के बीच 220.66 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन खुराकें दी गई हैं।

3.3 26-27 अप्रैल, 2023 को मैड्रिड, स्पेन में बचपन में निमोनिया के बारे में दूसरे वैश्विक मंच पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बचपन में निमोनिया पर भारत में हुई प्रगति को प्रस्तुत किया ।

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश, मई **2023**

माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति:

1,50,000 आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के लक्ष्य की तुलना में 31.05.2023 तक 1,59,642 एबी-एचडब्ल्यूसी का प्रचालन किया जा चुका था।

2. विधायी और विनियामक उपाय:

2.1 मीड (हनी वाइन), क्राफ्ट बीयर, भारतीय शराब के मानकों और कम अल्कोहल वाले पेय/आरटीडी, वाइन आधारित पेय और देशी शराब आदि की परिभाषा से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहलिक पेय) संशोधन विनियम, 2023 को 11.05. 2023 को अधिसूचित किया गया था।.

2.2 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) से पीड़ित व्यक्तियों/ गैर-ऑटिस्टिक व्यक्ति/एडीएचडी और विशिष्ट सीखने की अक्षमता विकार वाले बच्चों में व्यावसायिक थेरेपी, स्पीच थेरेपी और एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस (एबीए) आधारित व्यवहार थेरेपी के लिए सीजीएचएस और सीएस (एमए) नियम, 1944 के तहत उपचार का लाभ उठाने के लिए दिनांक 01.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

2.3 सीजीएचएस/सीएस(एमए) नियम, 1944 के तहत निरंतर उपचर्म इंसुलिन इन्फ्यूजन (सीएसआईआई) पंप थेरेपी की प्रतिपूर्ति के संबंध में दिनांक 16.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए गए थे ।

3. विविध

3.1 22.05.2023 को माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) और एनसीवीबीडीसी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों के संबंध में एक समीक्षा बैठक ली गई।

3.2 राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के तहत सभी गैर-संचारी रोगों की व्यापक कवरेज की सुविधा के लिए , कार्यक्रम का नाम "बदलकर राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी " कर दिया गया है।)"।

3.3 भारत के सभी आरोग्य केंद्रों में सीजीएचएस कार्ड की वैधता के संबंध में दिनांक 01.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

3.4 सीजीएचएस पेंशनभोगी लाभार्थियों (मूल कार्ड धारकों) द्वारा उस शहर में, जहां उपचार लिया गया था, सीजीएचएस को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा (एमआरसी) जमा करने के संबंध में दिनांक 08.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया गया था ।

3.5 माननीय संसद सदस्यों को कैशलेस आधार पर परामर्श/उपचार/जांच प्रदान करने के लिए पैनल में शामिल स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (यानि, अस्पताल, निदान केंद्र, आदि) को निर्देश दोहराने के संबंध में स्पष्टीकरण 10.5.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया गया था ।

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश, जून **2023**

माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति:

1,50,000 आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के लक्ष्य के मुकाबले, 30.06.2023 तक 1,60,002 एबी-एचडब्ल्यूसी का प्रचालन किया जा चुका है।

2. विधायी और विनियामक उपाय:

2.1 चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण और मूल्यांकन के उद्देश्य से राज्य चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशाला को अधिसूचित करने के लिए चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के नियम 18 और 19 में संशोधन करने के लिए सामान्य सांविधिक नियम (सा.कानि.) 409 (अ) दिनांक 02.06.2023 जारी किया गया था।

2.2. 14 फिक्स्ड ड्रग्स कॉम्बिनेशन (एफडीसी) पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सांविधिक आदेश 2394 (अ) से 2407 (अ) दिनांक 02.06.2023 जारी किए गए थे।

3. विविध

3.1 माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने मानसून की शुरुआत को देखते हुए 30.06.2023 को 22 राज्यों के साथ मलेरिया सहित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण की तैयारी की समीक्षा की।

3.2 20.06.2023 को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की इराक के ऊर्जा मामलों के माननीय उपप्रधानमंत्री और तेल मंत्री श्री हयान अब्दुल गनी अल-स्वाद के साथ बैठक आयोजित की गई थी।

3.3 भारत और किर्गिज़ गणराज्य के बीच स्वास्थ्य स्म्बंधी पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक 12.06.2023 को आयोजित की गई थी।

3.5. भारत और डेनमार्क के बीच स्वास्थ्य सम्बंधी तीसरे संयुक्त कार्य समूह की बैठक 28.06.2023 को आयोजित की गई।

3.6 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विदेश में तैनात होने पर सीजीएचएस सुविधाओं को जारी रखने के संबंध में दिनांक 17.06.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

3.7. एम्स (नई दिल्ली), जेआईपीएमईआर (पुडुचेरी) और पीजीआईएमईआर (चंडीगढ़) में कैशलेस आधार पर पेंशनभोगियों और अन्य पात्र श्रेणियों के लाभार्थियों के इलाज के संबंध में दिनांक 30.06.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश, जुलाई **2023**

माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति:

1.1 1,50,000 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के लक्ष्य की तुलना में 31.07.2023 तक 1,60,816 एबी-एचडब्ल्यूसी का प्रचालन किया गया है।

1.2 दिनांक 01.07.2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया।

1.3 जुलाई 2023 के दौरान, देश में कुल 29.89 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे और लगभग 14.2 लाख अस्पताल में प्रवेश को आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिकृत किया गया था।

2. विधायी और विनियामक उपाय:

दिनांक 05.07.2023 को खाद्य सुरक्षा और मानकों (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 के संबंध में शुद्धिपत्र संख्या एसटीडी/एफ़ए/ए-1.30/संख्या.1/2020-एफ़एसएसएआई अधिसूचित किया गया था।

3. विविध:

3.1 दिनांक 27.07.2023 को माननीय प्रधान मंत्री ने जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत पांच मेडिकल कॉलेजों चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्री गंगानगर का उद्घाटन किया। उक्त योजना के तहत स्वीकृत बारां, बूंदी, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक जिलों में सात नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी गई।

3.2 दिनांक 14.07.2023 और 15.07.2023 को देहरादून, उत्तराखंड में केंद्रीय स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण परिषद (सीसीएचएफडब्ल्यू) की बैठक माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

3.3 दिनांक 05.07.2023 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक (वीसी मोड में) आयोजित की गई।

3.4 दिनांक 14.07.2023 को भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक (वीसी मोड में) आयोजित की गई थी।

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश, अगस्त **2023**

माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति:

1.1 1,50,000 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के लक्ष्य की तुलना में 31.08.2023 तक 1,61,523 एबी-एचडब्ल्यूसी का प्रचालन किया गया था।

1.2 राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत, 17 चिन्हित राज्यों में कुल 37,98,676 व्यक्तियों की जांच की गई थी और 31.08.2023 तक कुल 15,05,235 सिकल सेल कार्ड वितरित किए गए थे।

1.3 अगस्त 2023 के महीने के दौरान, देश में कुल 41 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे और लगभग 16.3 लाख अस्पताल में प्रवेश को आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिकृत किया गया था।

2. विधायी और विनियामक उपाय:

2.1 16.08.2023 को नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों की सीटों की वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023, संक्षेप में (यूजी - एमएसआर 2023) और स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 2023 के विनियम 19 के तहत दिशानिर्देश , अधिसूचित किया गया।

2.2 नर्सिंग शिक्षा और अभ्यास परिदृश्य में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के लिए, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (एनएनएमसी) विधेयक, 2023 संसद द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम, 2023 को 14.08.2023 को अधिसूचित किया गया था।

2.3 स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाने और दंत चिकित्सा शिक्षा को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 संसद द्वारा

पारित किया गया था। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 11.08.2023 को अधिसूचित किया गया था।

2.4 फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 को जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम, 2011 के तहत पंजीकृत या योग्य व्यक्तियों से संबंधित विशेष प्रावधान के संबंध में फार्मेसी अधिनियम, 1948 में धारा 32सी को अंत:स्थापित करने के लिए लाया गया था। प्रस्तावित संशोधन उन व्यक्तियों को फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकरण का अवसर करने के लिए है जिनके पास पहले जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम, 2011 के तहत अनुमोदित योग्यता (चिकित्सा सहायक/फार्मासिस्ट) थी । फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 को 2023 के मानसून सत्र में संसद द्वारा पारित किया गया था और 15.08.2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे सहमति दी गई थी।

3. विविध:

3.1 जी-20 स्वास्थ्य कार्य समूह और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठकें दिनांक 17.08.2023 से 19.08.2023 तक गांधीनगर, गुजरात में आयोजित की गईं:

(क) भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के लिए प्रतिनिधिमंडलों के साथ संयुक्त सत्र के दौरान एक विशेष भाषण (वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) दिया।

(ख) स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में 29 देशों (14 जी20 सदस्य, 7 आमंत्रित देश और 8 अन्य देश) के माननीय स्वास्थ्य मंत्रियों की भागीदारी देखी गई, जिन्हें जी20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन और एडवांटेज हेल्थकेयर कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया था।

(ग) इस कार्यक्रम में महानिदेशक, डब्ल्यूएचओ और 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन और भारतीय एवं वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र के संगठन भी शामिल हुए।

(घ) 'डिजिटल स्वास्थ्य के बारे में वैश्विक पहल' जी20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और महानिदेशक, डब्ल्यूएचओ द्वारा सामूहिक रूप से शुरू की गई थी।

(ड) जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के मुख्य परिणाम इस प्रकार हैं:

(i) जी-20 सदस्य देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) और छोटे द्वीप

विकासशील राज्यों (एसआईडी) में टीकों, उपचार विज्ञान, निदान और चिकित्सा उपायों तक समान पहुंच पर जोर दिया।

(ii) जी-20 सदस्य राष्ट्र वन हेल्थ दृष्टिकोण का पालन करते हुए व्यापक रूप से एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(iii) सदस्य देशों ने स्वास्थ्य में साक्ष्य-आधारित पारंपरिक और पूरक चिकित्सा (टी एंड सीएम) की संभावित भूमिका को मान्यता दी।

(iv) सदस्य राष्ट्रों ने आगे स्वीकार किया कि भारत की जी20 अध्यक्षता चिकित्सा उपायों के लिए अनुकूलनीय, सस्ती, चुस्त, टिकाऊ, समावेशी, प्रभावी, कुशल, जवाबदेह और न्यायसंगत पहुंच की आवश्यकता पर चर्चा को आगे बढ़ा रही है।

(v) सदस्य देशों ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ और न्यायसंगत बनाने में डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य डेटा आधुनिकीकरण के महत्व को महसूस किया।

3.2 अगस्त 2023 के महीने के दौरान, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा गुयाना, ऑस्ट्रेलिया और सोमालिया के माननीय स्वास्थ्य मंत्रियों और भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के साथ चार बैठकें आयोजित की गईं।

3.3 दिनांक 17.08.2023 से 19.08.2023 तक जी20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान जी-20 उप मंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठ्कों के दौरान माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सऊदी अरब, जर्मनी, जापान, अमेरिका, सिंगापुर, मिस्र, नेपाल, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के माननीय स्वास्थ्य मंत्रियों/संगठनों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

3.4 दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय उच्च स्तरीय बैठक में 6 एसईएआरओ देशों ने भाग लिया, जो 16 और 17 अगस्त 2023 को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तपेदिक को समाप्त करने की दिशा में राजनीतिक प्रतिबद्धता के समग्र उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी । इस कार्यक्रम में 'गांधीनगर घोषणा' पर हस्ताक्षर करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर देखा गया , जो स्वास्थ्य मंत्रियों और डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ द्वारा संयुक्त घोषणा है, जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में हुई प्रगति को मान्यता देता है और विश्वास व्यक्त करता है कि डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ क्षेत्र तपेदिक को समाप्त करने में सक्षम होगा। 2030 तक.

3.5 भारत में नकली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार ने 01.08.2023 से भारतीय बाजार में उपलब्ध शीर्ष 300 दवा ब्रांडों के लेबल पर एक क्यूआर कोड चिपकाना अनिवार्य

कर दिया है। क्यूआर कोडिंग को शामिल करने से औषधि नियम, 1945 के तहत आपूर्ति श्रृंखला में ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की सुविधा मिलेगी।

3.6 सीजीएचएस के तहत कैंसर रोधी दवाएं जारी करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश 25.08.2023 को जारी किए गए थे।

3.7 भारत सरकार के मिशन भर्ती के तहत, अगस्त, 2023 के महीने के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत विभिन्न एम्स, केंद्र सरकार के अस्पतालों और अन्य संस्थानों / संगठनों द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों को नियुक्तियों के 3185 प्रस्ताव दिए गए।

*****